



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226310
CG-DL-E-31032021-226310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 113]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सं. 48 / 2015-2020

फा. सं. 01/75/171/00001/एएम-20-एफटीपी प्रकोष्ठ (पार्ट-IV).—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

क. प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2015-20 में:

1. पैरा 1.01 में, वाक्यांश "31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी" को वाक्यांश "30 सितम्बर, 2021 तक लागू रहेगी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. पैरा 3.20(क) में, वाक्यांश "अथवा 31.03.2021, जो भी बाद में हो" को वाक्यांश "अथवा 30.09.2021, जो भी बाद में हो" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
3. पैरा 4.12(vi) में, प्रथम वाक्य में यथा उल्लिखित तारीख '31.03.2021' को '30.09.2021' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: मौजूदा प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 की वैधता को दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 31st March, 2021

No. 48/2015-2020

F. No. 01/75/171/00001/AM20/FTP Cell (Pt.IV).—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes, with immediate effect, the following amendments:

In the Handbook of Procedures (HBP), 2015-20:

1. In para 1.01, the phrase 'shall remain in force until 31st March, 2021' is substituted by the phrase 'shall remain in force until 30th September, 2021.'
2. In para 3.20 (a), the phrase 'or 31.03.2021, whichever is later' is substituted by the phrase 'or 30.09.2021, whichever is later'.
3. In para 4.12(vi), the date '31.03.2021', as appearing in the first sentence is substituted by '30.09.2021.'

Effect of this Public Notice: Validity of the existing Hand Book of Procedures, 2015-20 is extended up to 30th September, 2021.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.